फर्द अहकाम

16.11.2021	आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट समन्दसर में पेशी में ली गई। वादी अधिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विक्रय पत्र दिनांक 19.07.1984 के दस्तावेज से प्रथम दृष्ट्या यह साबित है कि नीलम उर्फ भंवरी देवी पत्नी मदनगोपाल जाति नाई निवासी सुजानगढ़ हाल निवासी बीकानेर एक ही महिला है। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया है कि उसके घरेलू बोलचाल के नाम भंवरी होने के कारण विक्रय पत्र में भंवरी देवी नाम अंकित हो गया है। साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रदर्श- 1 प्रदर्शित करवाये गये, प्रदर्श- 02 में पेनकार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पास बुक, परिवार राशन कार्ड प्रस्तुत किये गये। स्टेट की ओर से पेशकारान ने जवाब पेश किया गया। अपने जवाब में वादिनी का राजस्व रिकार्ड में भंवरीदेवी के बजाय नीलम पत्नी मदनगोपाल जाति नाई निवासी के संबंध में एक ही महिला होने की रिपोर्ट की गई है। उक्त साक्ष्य के विवेचन से तनकी संख्या 1 से 3 वादिनी के पक्ष में आंशिक रूप से साबित हुई है, वादिनी नीलम देवी को भंवरी के नाम से जाना पुकारा जाता है, इसलिए कथित विक्रय पत्र में अंकित भंवरी देवी के नाम को राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाना उचित नहीं है बल्कि नीलम देवी उर्फ भंवरी देवी पत्नी मदनगोपाल जाति नाई निवासी सुजानगढ़ हाल बीकानेर का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। वादिनी का दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। **निर्णय** खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 7.59 हैक्टेयर रोही मौजा माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज भंवरी देवी पत्नी मदनगोपाल जाति नाई साकिन सुजानगढ़ हाल बीकानेर के नाम के आगे उर्फ नीलम अंकित करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार आदेश की पालना सुनिश्चित करने बाबत अन्तिम डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को कैम्प कोर्ट समन्दसर में मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Divya Date: 2022.09.16 17:15:41 IST Reason: SelfAttested (दिव्या) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़

अन्तिम डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस (कैम्प कोर्ट समन्दसर)

उनवान

नीलम उर्फ भंवरी देवी पत्नी मदनगोपाल जाति नाई निवासी सुजानगढ हाल निवासी वीकानेर

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ

दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ती

मुकदमा नम्बर 38/2019

निर्णय दिनांक 16.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास क़तई रूब्रू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता बाबूलाल दर्जी एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 222 तादादी 7.59 हैक्टेयर रोही माणकरासर के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज भंवरी देवी पत्नी मदनगोपाल जाति नाई साकिन सुजानगढ हाल बीकानेर के नाम के आगे उर्फ नीलम अंकित करनें के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज़....0......मुबलिग......0........बाबत.......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.........0.........फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 16 माह 11 सन् 2021 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.......रूपये पर प्लीडर की फ़ीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:15:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)